उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

आदेश

अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 28 (स्वी०), दिनांक 10.05.2018 एवं आवंटनदेश ज्ञापांक 04(आ०), दिनांक 18.05.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत **मो० 309.16000 लाख रू०** का आवंटन प्राप्त हुआ है।

1. दिनांक 11.05.2018 को सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार लातेहार जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 60 स्थलों पर सोलर सिस्टम के द्वारा GI Sheet टंकी से जल आपूर्ति योजना क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया गया है।

2. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक 08.05. 2018 को जिला स्तरीय समिति द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से **"सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना"** के अधिष्ठापन हेतु एजेंसियों से हुई वार्तादर के आलोक में मो० 4.00 लाख रू० प्रति अदद् पर स्वीकृति प्रदान किया गया है।

3. जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत दर मो० 4.00 लाख रू० प्रति इकाई मानक प्राक्कलन दर पर जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि से लातेहार जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 60 स्थलों पर सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु कुल मो०(60 अदद् x 4.00 लाख रू०) 240.00 लाख रू० की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है तथा कुल प्रशासनिक स्वीकृति राशि का 50 प्रतिशत (कॉलम–6) यानि कुल मो० 120.00 लाख रू० (एक करोड़ बीस लाख रू० मात्र) प्रथम अग्रिम स्वरूप कार्यकारी एजेंसी को उपावंटित करने की स्वीकृति दी जाती है। योजना विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई तकनीकि स्वीकृति की राशि	कुल तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	उपावंटित राशि (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	लातेहार जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (60 अदद)	4.00	240.00	240.00	120.00
कुल		**4.00**	**240.00**	**240.00**	**120.00**

(एक करोड़ बीस लाख रू० मात्र)

4. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार को कार्यकारी एजेंसी मनोनीत किया जाता है, जो विभागीय नियम के अनुसार तथा प्राक्कलन के विशिष्टयों के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना व्यय (विस्तृत) मांग संख्या 35 योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) मुख्यशीर्ष 2053 जिला प्रशासन, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 11 जिला योजना के लिये अनाबद्ध राशि State Scheme- State plan Untied Fund (0385) विस्तृत शीर्ष 07 अन्य व्यय 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 35P205300796110759 में प्राप्त आवंटन **मो० 309.16000 लाख रू०** में से योजना के कार्यान्वयन हेतु **कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार** को कॉलम संख्या–6 में उपावंटित राशि **मो० 120.00**

लाख रू० (एक करोड़ बीस लाख रू० मात्र) उनके कोषागार डिपोजिट शीर्ष में अंतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

6. स्थल चयन हेतु मुख्य बातें :– (क) वैसा गांव का चयन जहाँ पेयजल की विकट समस्या हो। (ख) किसी भी विभाग से पूर्व में टंकी युक्त पेयजल की व्यवस्था न हो। (ग) पूर्व में छीद्रण किसी भी चापाकल से जल का प्रवाह उच्चतर की हो। चुँकि इस योजना में पूर्व से छीद्रण चापाकल में ही सोलर पम्प एवं टंकी का निर्माण किया जाना है।

7. कार्यकारी एजेंसी द्वारा उपयुक्त स्थल की सूची उपलब्ध कराया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त ही अनुमोदित स्थल पर कार्य कराया जाएगा। स्थल बदलने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अनुमति अनिवार्य होगी।

8. कार्यकारी एजेंसी योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मापीपुस्त की सत्यापित प्रति, फोटोग्राफ, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, हस्तांतरण प्रमाण–पत्र तथा स्वयं स्थलीय जांच प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. कार्यकारी एजेंसी सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना अधिष्ठापन से पूर्व यथा संभव पूर्व से अधिष्ठापित चापाकल में जल की उपलब्धता का आकलन नियमानुसार कर लेंगे, जिससे कि चापाकल से पानी नहीं निकलने की सम्भावना को शून्य किया जा सके।

10. कार्यकारी एजेंसी चयनित स्थल पर सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लाभान्वित घरों/परिवारों का आकलन करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी विवरणी सूची के साथ प्रस्तुत करेंगे।

11. कार्यकारी एजेंसी सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात सभी संबंधित प्रखंड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूची उपलब्ध करा देंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भौतिक जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

12. योजना कार्यारंभ के पूर्व एवं समापन के पश्चात् योजना की फोटोग्राफी कराकर कार्यकारी एजेंसी द्वारा इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

13. कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी सोलर पैनल के माध्यम से लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की संख्या को लाल रंग से रंग–रोगन किया जायेगा एवं अंग्रेजी में DP(Untied)/2018-19/ Sl. No........... अथवा हिन्दी में जि०यो०(अनाबद्ध)/2018–19 क्र०–.............. / अंकित करेंगे, जिसका फोटोग्राफ कार्यकारी एजेंसी द्वारा जिला योजना कार्यालय, लातेहार को उपलब्ध करायेंगे।

14. कार्य के संबंध में संबंधित सामग्रियों का कय उनकी गुणवत्ता को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रसंगाधीन नियमों यथा **PWD** कोड के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

15. योजना में व्यवहृत सामग्रियों के विरूद्ध देय रायल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती विपत्र से किया जायेगा तथा कटौती की गयी राशि को जिला कोषागार, लातेहार में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार योजना के गुणवत्ता के लिये पूर्ण जवाबदेह होंगे तथा कार्यकारी एजेंसी यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप है।

17. योजना के कार्यान्वयन के कम में यदि किसी प्रकार की राशि का विचलन अथवा बिना कार्य के राशि की अभिश्रव निकासी अथवा प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न होने पर कार्यकारी एजेंसी के विरूद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

18. कार्यकारी एजेंसी पूर्व में हुए (दिनांक 08.05.2018) EOI में चिन्हित 03 आपूर्तिकर्ताओं के बीच समान मात्रा में कार्य आवंटित करेंगे। यदि कोई आपूर्तिकर्ता के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो वह कार्य शेष आपूर्तिकर्ताओं के बीच आवंटित किया जाएगा।

19. कार्यकारी एजेंसी प्रत्येक माह के 2री तिथि तक योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–42/2018–19 259 /जि०यो०, दिनांक :– 4.6.18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग)/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–42/2018–19 259 /जि०यो०, दिनांक :– 4.6.18

प्रतिलिपिः– कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला योजना पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार को उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि का **50 प्रतिशत** यानि कुल **मो० 120.00 लाख रू० (एक करोड़ बीस लाख रू० मात्र)** की राशि कोषागार डिपोजिट शीर्ष में अंतरण करने हेतु विपत्र तैयार कर उपस्थापित करें।

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, लातेहार–जिला/संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार–जिला/ संबंधित अंचलाधिकारी, लातेहार–जिला/जिला कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।